न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा।
फौजदारी वाद संख्या–266 / 2026
CNR No.-UKAL020003882026
आई0ए0 नं0–01 / 2026
राज्य बनाम रोहन कुमार आर्या व अन्य

मु0अ0सं0–71 / 2025
धारा–117(2), 190, 191(2) व 351(3) भारतीय न्याय संहिता,
चालानी थाना कोतवाली अल्मोड़ा

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी श्रीमती शिखा श्रीवास्तव,
अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह मेहता।

04.06.2026 निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र

उपरोक्त मामले में अभियुक्तगण 1– रोहन कुमार आर्या पुत्र नन्दन लाल, 2– नन्दन लाल पुत्र स्व0 हरक राम, 3– नवीन बिष्ट उर्फ मांबा पुत्र गोपाल सिंह, 4– जगदीश बिष्ट उर्फ जग्गू पुत्र त्रिलोक सिंह बिष्ट, 5– विरेन्द्र चन्द्र आर्या उर्फ बीरा पुत्र दीवान राम, 6–सावन बाल्मिकी उर्फ सावन चौहान पुत्र कमल बाल्मिकी, 7– दिनेश चन्द्र पुत्र बच्ची राम व 8– राहुल आर्या पुत्र नन्दन लाल के द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र का0सं0–21ख प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण की शिनाख्त विद्वान अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह मेहता द्वारा की गयी। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। तत्पश्चात् अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मामले में जमानत प्रार्थना पत्र का0सं0–23ख प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह आधार लिए गये हैं कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं तथा उन्हें तथाकथित धाराओं में झूठा व गलत फंसाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा कथित धाराओं के अन्तर्गत कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियुक्तगण जमानत जमानत पर रिहा होना चाहते हैं। अतः अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा यह आख्या दी गई कि मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–117(2), 190, 191(2) व 351(3) भारतीय न्याय संहिता न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत धारा–351(3) भारतीय न्याय संहिता को छोड़कर अपराध जमानतीय प्रकृति का है, उनके द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को जमानत के प्रश्न पर सुना व पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामला अन्तर्गत धारा–117(2), 190, 191(2) व 351(3) भारतीय न्याय संहिता से सम्बन्धित है। प्रस्तुत मामले में दौराने विवेचना अभियुक्तगण की गिरफ्तारी नहीं की गयी थी तथा अभियुक्तगण को धारा–35(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का नोटिस तामील

कराया गया था। दौराने विवेचना, अभियुक्तगण द्वारा विवेचक को विवेचना में सहयोग न किया गया हो, ऐसा कोई कथन अभियोजन पक्ष की ओर से नहीं किया गया है व मामले में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों व प्रस्तुत मामले की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण दोष पर कोई भी राय व्यक्त न करते हुए, प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण को इस स्तर पर जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त प्रतीत होता है। तद्नुसार अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण 1– रोहन कुमार आर्या पुत्र नन्दन लाल, 2– नन्दन लाल पुत्र स्व0 हरक राम, 3– नवीन बिष्ट उर्फ मांबा पुत्र गोपाल सिंह, 4– जगदीश बिष्ट उर्फ जग्गू पुत्र त्रिलोक सिंह बिष्ट, 5– विरेन्द्र चन्द्र आर्या उर्फ बीरा पुत्र दीवान राम, 6–सावन बाल्मिकी उर्फ सावन चौहान पुत्र कमल बाल्मिकी, 7– दिनेश चन्द्र पुत्र बच्ची राम व 8– राहुल आर्या पुत्र नन्दन लाल का जमानत प्रार्थना–पत्र का0सं0–23ख अन्तर्गत धारा–117(2), 190, 191(2) व 351(3) भारतीय न्याय संहिता स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक को रू. 20,000/– (बीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र एवं समान धनराशि के एक–एक सक्षम एवं विश्वसनीय जमानती न्यायालय में प्रस्तुत करने पर, दौराने वाद, जमानत पर रिहा किया जाये।

(मोहम्मद याकूब)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अल्मोड़ा।